

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)


क्रमांक: प.8(18)राज/वाद/19पार्ट-6

जयपुर, दिनांक 31-7-2023

:: आदेश ::


श्री सीताराम सैनी, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं07, जयपुर महानगर द्वितीय की सेवा अवधि दिनांक 31.07.23 को पूर्ण होने के फलस्वरूप इनकी सेवा अवधि में वृद्धि नहीं करते हुए श्री सीताराम सैनी, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं07, जयपुर महानगर द्वितीय की दिनांक 31.07.23 मध्यान्ह पश्चात से सेवा समाप्त की जाती है।

आज्ञा से,


(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय।
- 8 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं07, जयपुर महानगर द्वितीय।
- 9 जिला कलक्टर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं07, जयपुर महानगर द्वितीय के पद पर नियुक्ति हेतु जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर द्वितीय की अनुशंसा/ परामर्श उपरान्त कम से कम 03 अधिकतम सम्भवत 05 योग्य अभिभाषकों का पैनल मय बायोडाटा एवं घोषणा पत्र के साथ अविलम्ब इस विभाग को भिजवायें साथ ही उक्त पद पर नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेश तक इनके लिंक अभियोजक को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं07, जयपुर महानगर द्वितीय में राज्य की ओर से समुचित पैरवी करने हेतु निर्देशित करते हुये संबंधित न्यायालय व इस विभाग को अवगत करावें।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।


31/7/23
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि